

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर. ए. एस.)

अनुवान :- सुल्तान बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या :- 88 / 2024

निर्णय दिनांक :- 26/6/24

सुल्तान पुत्र केशुराम जाति जाट निवासी आनन्दसिंहपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान लैंड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :- 1. श्री पवन कुमार योगी अभिभाषक वास्ते प्रार्थी

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू वास्ते अप्रार्थी

-: निर्णय:-

प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128 129 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि कृषिभूमि खसरा नं. 134/47 तादादी 1.2013 हैक्टेयर, खसरा नं. 240/138 तादादी 2.1622 हैक्टेयर वाकै रोही चलकोई खिचड़ान पटवार हल्का आनन्दसिंहपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू की खातेदार काश्तकार प्रार्थी है। कृषिभूमि के पड़ोसियान हमेशा सीव बाबत प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थी अपने खेत के चारो तरफ बाड बगैरह सही ढंग से नहीं कर सकती ना ही अपने खेत को सुधार सकती है। व उक्त कृषिभूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रार्थी की कृषिभूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थी अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवा कर इसके चारों ओर पत्थर गढ़ी करवाना चाहती है। आदि-आदि।

इस प्रकार प्रार्थीने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त कृषिभूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलव किया गया। अप्रार्थी की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। राजपैरोकार ने प्रकरण में राजहित नही होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के कृषिभूमि खसरा नं. 134/47 तादादी 1.2013 हैक्टेयर, खसरा नं. 240/138 तादादी 2.1622 हैक्टेयर वाकै रोही चलकोई खिचड़ान पटवार हल्का आनन्दसिंहपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू की रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी में है। प्रार्थी अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहती है। प्रार्थीकी भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ है।

वर्णित विवेचन से प्रार्थीका प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुए प्रार्थी के कृषिभूमि खसरा नं. 134/47 तादादी 1.2013 हैक्टेयर, खसरा नं. 240/138 तादादी 2.1622 हैक्टेयर रोही तहसील तारानगर की राजस्व नक्शा के मुताबिक पैमाईश कर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करावें। सीमा चिन्ह का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावे।

सुर्वकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 28/6/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सुर्वकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)
तारानगर (चूरू)